रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2016/कार्तिक 30, 1938
No. 416] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2016/KARTIKA 30, 1938

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/4.––पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप–धारा (2) के खंड (ङ) (ढ़), (ण), (त) और (ब) के साथ पठनीय धारा 52 की उप–धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत :

1. इन विनियमों का नाम 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016' है।
2. ये राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 में :–

(I) विनियम 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के पश्चात को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

'' विनियम का उद्देश्य **विद्यमान** संकलनकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण और अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए विनियामक रूपरेखा प्रदान करना है''

(II) विनियम 3 के उप–विनियम (4) को निरस्त माना जाएगा।

(III) विनियम 4 के उप–विनियम (3) को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

'' ऐसा कोई **विद्यमान** संकलनकर्ता, जिसे अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना के ठीक पूर्व अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा उस रुप में कृत्य करने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी, इन विनियमों के अधिसूचित किये जाने से नब्बे दिन दिन की अवधि तक **या ऐसी किसी अन्य समयसीमा तक, जिसका प्राधिकरण द्वारा विस्तार किया जा सके,** के अध्यधीन ऐसा विद्यमान संकलनकर्ता रजिस्ट्रीकरण दिये जाने का आवेदन करता है **और** प्राधिकरण द्वारा उसके आवेदन का निपटान किये जाने तक, उस रूप में कृत्य करना जारी रख सकेगा ''

(IV) विनियम 8 के उप–विनियम (4) को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''ऐसे आवेदक के संबंध में, जो आरंभिक मूल्यांकन के पश्चात् सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, प्राधिकरण आवेदक के कार्यालय में ऐसी तारीख को और समय पर, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए, सम्यक तत्परता बरत सकता है''

(V) विनियम 12 के उप–विनियम (2) को निरस्त माना जाएगा।

(VI) विनियम 14 में :

उप–विनियम (3) को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

(iii) ''प्रत्येक संकलनकर्ता, ऐसी सभी प्रचालनों और अन्य अपेक्षाओं, **यदि ऐसा किया जाना प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो,** जो समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से करार करेगा और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को नियमित अंतरालों पर अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।''

(VII) विनियम 18 में उप–खंड (ज) के पश्चात उप–खंड (झ) और उप–खंड (ञ) को निम्न प्रकार से जोड़ा जाएगा :–

'' (झ) विद्यमान स्वावलम्बन अभिदाता के अटल पेंशन योजना या भारत सरकार की कोई अन्य पेंशन स्कीम या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत किसी योजना में प्रव्रजन हेतु आवेदनों या अटल पेंशन

योजना को न अपनाने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली—लाइट / स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत बने रहने के विद्यमान अभिदाताओं से प्राप्त विशिष्ट आवेदनों के अभिलेखों को बनाये रखना''

(ञ) अभिदाताओं के अटल पेंशन योजना (एपीवाई) या भारत सरकार की कोई पेंशन स्कीम या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत किसी योजना से निकास के लिए प्राप्त आवेदनों के अभिलेखों को बनाये रखना।

(IX) विनियम 27 के उप—विनियम (1) के उप—खंड (छ) को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

''सभी रजिस्ट्रीकृत संकलनकर्ताओं को लागू किसी अन्य समान मानदंडों के विरूद्ध या अभिदाता सेवाओं के निबंधनानुसार अपने कार्य का कालिक पुनर्विलोकन करने में असफल रहता है;

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन— III / 4 / असा. / 288 / 16(203)]

पाद टिप्पणी :

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 / 4 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग— III खण्ड 4 में, 10 मार्च, 2015 को प्रकाशित किया गया।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (AGGREGATOR) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS 2016

No.PFRDA/12/RGL/139/4 —In exercise of the powers conferred by sub-section (1)of section 52 read with clauses (e), (n), (o), (p) and (w) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations 2015 namely:—

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) (First Amendment) Regulations, 2016.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (aggregator) Regulations 2015:-

(I) In regulation (1) after short title and commencement, the following shall be substituted:

"The Regulation aims to provide regulatory framework for registration of **existing** Aggregators and monitor implementation of National Pension System for the best interest of the target subscribers."

(II) sub-regulation (12) of regulation (3) shall stand omitted.

(III) In regulation (4), sub-regulation (3) shall be substituted as follows:-

"Any **existing** Aggregator, which was granted a permission to function as such by the interim Pension Fund Regulatory and Development Authority prior to the establishment of the Authority under the Act may continue to act as such for a period of ninety days from the notification of these regulations **or such further time as may be extended by the Authority**, **subject to such existing aggregator making an application** for grant of registration, **and** till the disposal of its application by the Authority.

(IV) In regulation (8), sub-regulation (4) shall be substituted as follows:-

"For the applicant, who satisfies all the eligibility condition after initial evaluation, the Authority **may** conduct a due diligence at the applicant's office at such date and time as may be determined by the Authority."

(V) sub-regulation (2) of regulation (12) shall stand omitted.

(VI) In regulation (14) :

sub clause (i) of sub-regulation (1) shall be substituted as follows:-

(i) "dispatch of Permanent Retirement Account Number Card and statement of transaction or any other document to the subscribers within the time limits as specified by the authority from time to time";

(ii) sub clause (j) of sub-regulation (1) shall stand omitted;

(iii) sub-regulation(3) shall be substituted as follows:

"Each aggregator shall enter into agreement with the National Pension System Trust, **if so required by the Authority,** for all operation and other requirement as may be specified from time to time and submit the compliance certificate to National Pension System Trust at regular intervals".

(VII) In Regulation 18, new sub-clause (i) and (j) shall be added after sub-clause(h) as follows:

"(i) to maintain records of requests of existing subscriber for migration to Atal Pension Yojana (APY) or any pension scheme of the Government of India or a scheme under National Pension System or the specific request received from existing subscribers for opting out from Atal Pension Yojana and continue under National Pension System-Lite/Swavalamban Scheme;

(j) maintain the records of the requests received from subscribers for exiting from Atal Pension Yojana (APY) or any pension scheme of the Government of India or a scheme under National Pension System.

(IX) In regulation (27), sub-clause (g) of sub-regulation (1) shall be substituted as follows:-

" fails in the periodic review of its performance in terms of subscriber servicing or against any other uniform criteria applicable to all the registered aggregator;

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson
[ADVT-III/4/Exty./288/16(203)]

Footnote:

1. The principal regulations, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Aggregator) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on March 10, 2015 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/4.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.11.22 14:03:16 +05'30'